योजना आयोग–

योजना आयोग भारत सरकार की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना है। इस आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को की गई थी। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वित्तमंत्री और रक्षामंत्री योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।

इतिहास– भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले 1930 ई. में बुनियादी आर्थिक योजनायें बनाने का कार्य शुरू हुआ। भारत की औपनिवेशिक सरकार ने औपचारिक रूप से एक कार्य योजना बोर्ड का गठन भी किया, जिसने 1944 से 1946 तक कार्य किया। निजी उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने 1944 में कम से कम तीन विकास योजनायें बनाई थीं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, का गठन 15 मार्च, 1950 ई. को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया।

पंचवर्षीय योजना की शुरुआत– देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू की गयी थी। इसके बाद 1965 तक दो और पंचवर्षीय योजनायें बनाई गयीं। सन 1965 के बाद पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण योजना बनाने के कार्य में व्यवधान आया। लगातार दो साल के सूखे, मुद्रा का अवमूल्यन, कीमतों में सामान्य वृद्धि और संसाधनों के क्षरण के कारण योजना प्रक्रिया बाधित हुई और 1966 और 1969 के बीच तीन वार्षिक योजनाओं के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को 1969 में शुरू किया जा सका।

योजना आयोग का गठन–

योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद आयोग का उपाध्यक्ष संस्था के कामकाज को मुख्य रूप से देखता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री आयोग के अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि स्थायी सदस्यों में अर्थशास्त्र, उद्योग, विज्ञान एवं सामान्य प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर अपनी राय सरकार को देते रहते हैं। आयोग अपने विभिन्न प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। **आयोग के विशेषज्ञों में अधिकतर अर्थशास्त्री होते हैं, यह इस आयोग को भारतीय आर्थिक सेवा का सबसे बड़ा नियोक्ता बना देता है।**

प्रमुख कार्य– योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नवत रहे–

01. देश में उपलब्ध तकनीकी कर्मचारियों सहित सामग्री, पंजी और मानव संसाधनों का आकलन और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इन संसाधनों की कमी को दूर करने हेतु उन्हें बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाना।
02. देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना।
03. प्राथमिकताएँ निर्धारित करते ऐसे क्रमों को परिभाषित करना, जिनके अनुसार योजना को कार्यान्वित किया जाये और प्रत्येक क्रम को यथोचित पूरा करने के लिए संसाधन आवंटित करने का प्रस्ताव रखना।
04. ऐसे कारकों के बारे में बताना, जो आर्थिक विकास में बाधक हैं और वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति के दृष्टिगत ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने की जानकारी देना, जिनसे योजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सके।
05. इस प्रकार के तंत्र का निर्धारण करना, जो योजना के प्रत्येक पहलू को एक चरण में कार्यान्वित करने हेतु जरूरी हो।
06. योजना के प्रत्येक चरण में हुई प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन और उस नीति तथा उपायों के समायोजना की सिफारिश करना जो मूल्यांकन के दौरान जरूरी समझे जाएँ।
07. ऐसी अंतरिम या अनुषंगी सिफारिशें करना, जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उचित हों अथवा वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, चालू नीतियों उपायों और विकास कार्यक्रमों पर विचार करते हुए अथवा परामर्श के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा उसे सौंपी गई विशिष्ट समस्याओं की जाँच के बाद उचित लगती हों।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना– 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य–

01. योजना आयोग ने वर्ष 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
02. वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

03. सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था।
04. वित्त वर्ष 2009–10 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4 फीसदी तक पहुंच गई।
05. भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया।

योजना आयोग बनाम नीति आयोग–

सोवियत संघ की संस्था के तर्ज पर भारत में स्थापित योजना आयोग की प्रासंगिकता 90 के दशक में उदारीकरण के बाद खत्म होने होने लगी थी। लाइसेंस राज खत्म होने के बाद यह बिना किसी प्रभावी अधिकार के सलाहकार संस्था के तौर पर काम करती रही। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलते वक्त में हमें रचनात्मक सोच और युवाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने वाला संस्थान बनाने की जरुरत है।

योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में एक संकल्प द्वारा पूर्व यूएसएसआर से प्रेरित होकर किया गया था। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करते हुए विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण और प्राथमिकता के अनुसार संसाधनो का सही आवंटन था। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही भारी उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी योजना आयोग को और व्यावहारिक, प्रगतिशील और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 1 जनवरी, 2015 को एक प्रस्ताव द्वारा इसे नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। काफी लम्बें समय से यह विषय विवाद का मुद्दा बना था कि केन्द्रीयकृत प्लानिंग के रूप में योजना आयोग अपने चरम पर पहुँच चुका था और अब देश को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप एक नए सुधार की आवश्यकता है। इसी को आधार बनाते हुए नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

01. राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं – योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था जिसके कारण नई योजना के निर्माण में राज्य सहयोग की भूमिका में नहीं आ पाए थे। प्रत्येक राज्य को अपनी विशेष

परिस्थितियों का बेहतर ज्ञान होता है लेकिन इस जानकारी को योजना के निर्माण में किसी तरह का कोई महत्व नहीं दिया गया था।

02. टॉप टू बॉटम एप्रोच – योजना आयोग सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर आधारित था, इसलिए इसके द्वारा सभी योजनाएं केंद्रीय रूप से बनायी जाती थीं जिनका अनुपालन प्रत्येक राज्य को करना होता था। धन के आवंटन के समय भी राज्यों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया था और ज्यादातर इसका प्रयोग प्रतिद्वंद्वी राज्यों को परेशान और दण्डित करने के लिए किया गया था। जबकि राज्यों को अपने खर्चों की समझ केंद्र से कहीं बेहतर होती है।
03. वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नहीं – योजना आयोग में विशेषज्ञों को कोई महत्व नहीं दिया गया था। जिसका वर्तमान युग में बहुत महत्व है। वर्तमान युग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग को भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में लागू किया गया। जिसमें विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
04. यद्दपि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं, जो बेहरत नियोजन आवश्यकताओं के लिए सलाह देने का दायित्व निभाती रही हैं, हालांकि, योजना आयोग और नीति आयोग कई आधार पर एक–दूसरे से भिन्नता रखते हैं। भिन्नता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखितवत हैं –

योजना आयोग बनाम नीति आयोग तुलनात्मक अन्तरः–

क्रं.सं.	आधार	योजना आयोग	नीति आयोग
1	**प्रकृति**	राज्य की सेवा	बाजार सेवा
2	**नियोजन युक्तियाँ**	ऊपर से नीचे की ओर का दृष्टिकोण	नीचे से ऊपर की ओर का दृष्टिकोण
3	**सहकारी संघवाद**	राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं	केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व
4	**क्षेत्रीय मुद्दा**	कोई परिषद नहीं	क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान
5	**वित्त आवंटन**	वित्त आवंटन का कार्य करता था	केवल सलाहकारी भूमिका में
6	**विशेषज्ञों को स्थान**	कम महत्व	विशेषज्ञों को स्थान

प्रकृति – जहां योजना आयोग राज्य अनिश्चित अर्थव्यवस्था से संबंधित था, वहीं नीति आयोग का गठन बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अहर प्रेरित अर्थव्यवस्था के अनुरूप किया गया है।

नियोजन युक्तियां – योजना आयोग, योजना निर्माण हेतु ऊपर से नीचे की ओर के दृष्टिकोण अपनाता था, जबकि नीति आयोग में नीचे से ऊपर की ओर के दृष्टिकोण को गया है।जिसमें राज्यों के सहयोग की वृद्धि हुयी है।

सहकारी संघवाद – योजना आयोग पूर्णतः केंद्र की संस्था थी जिसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन नीति आयोग के सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसमें केंद्र और राज्य दोनो का समान प्रतिनिधित्व है। राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण यह राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में कार्य करने में समर्थ है।

क्षेत्रीय मुद्दा – नीति आयोग में क्षेत्रीय मुद्दे या दो या अधिक राज्यों के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान है। जिसके सदस्य सभी राज्यों व संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, उप–राज्यपाल होंगे, जिससे ये संघवाद का भी रूप प्रदर्शित करता है। योजना आयोग में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था।

वित्त आवंटन – जहां वित्त आवंटन में योजना आयोग की प्रमुख भूमिका थी, वहीं नीति आयोग केवल एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है।

विशेषज्ञों को स्थान – विशेषज्ञों को योजना आयोग में कम महत्व प्रदान किया गया था, लेकिन नीति आयोग की संरचना में विशेषज्ञों को विशेष स्थान दिया गया है, जो इसे और व्यवहारिक बनाता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि नीति आयोग में योजना आयोग के सलाहकारी और दृष्टिकोण के कार्यों को बनाए रखा गया है लेकिन योजना बना रही है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्त आवंटन के कार्यों को समाप्त कर दिया गया है। जिससे नीति आयोग को एक नीति निर्धारक और सलाहकारी संस्थान का रूप प्राप्त होता है न कि कार्यकारी संस्था का। साथ ही नीति आयोग अधिक सहयोगी, समावेशी और बाजार की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप है।

नीति आयोग का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से जटिल चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए भारत को सक्षम बनाना है–

01. भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic dividend) का इस्तेमाल करना और शिक्षा, कौशल विकास को बढाकर, लैंगिक असमानता को समाप्त कर यहां के युवाओं, पुरुषों एवं महिलाओं को सक्षम बनाकर रोजगार–परक शिक्षा देना है।

02. गरीबी का उन्मूलन और प्रत्येक भारतीय को गरिमा एवं आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का अवसर प्रदान करना।
03. लिंग भेद, जाति और आर्थिक आधार पर असमानता को दूर करना।
04. विकास प्रक्रियाओं में गांवों को संस्थागत तौर पर एकीकृत करना।
05. 50 मिलियन (500 मिलियन/5 करोड़) छोटे व्यापारों, जो रोजगार सृजन के प्रमुख स्रोत हैं,को नीतिगत समर्थन देना।
06. हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना।